आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–83
तेरह अंको का कोड–2515007890401

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
शामली।

संख्या– 1/1230/2014–1/21/2014 : लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना– 04–पंचायतीराज संस्थायें–0401 सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1594–33–3–2014–100(07)/2014, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार ₹ 1434052/– (**₹ चौदह लाख चौतीस हजार बावन मात्र**) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग से वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।

2– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें, धनराशि व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2467/दस–2014–231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चत किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/8 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/8 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जाय।

4– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5– शासकीय व्यय की मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

8– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम आयोजनागत–789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना–04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी के नामे डाला जायेगा।

9– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

10– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम–27 से कोई धनराशि आहरण न किया जाये।

कृ0पृ0उ0

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-12/12/2014

प्रेषण संख्या:- 1-1230-2014-1-21-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 006-21-2014

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04 - पंचायती राज संस्थायें

01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	योग
1	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	703975 703975	374802 374802	349402 349402	5873 5873	1434052 1434052
	योग	वर्तमान प्रगामी	703975 703975	374802 374802	349402 349402	5873 5873	1434052 1434052

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख चौंतीस हजार बावन

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह लाख चौंतीस हजार बावन

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

12/12/2014 5:24 PM